[श्री हरीश ब्यामर गगवार]

से जानना चाहता हूं कि क्या सेन्ट्रल गवर्नमेंट कम्पाउंडरों की ट्रेनिंग देने के लिए कोई स्कीम बना रही है क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट तो इस को करती नहीं है ?

SHRI B. SHANKARANAND: Sir, the Pharmacist Council of India have approved the amendments to the regulations as well as the training of pharmacists, in 1978 and they had recommended certain short term courses for these people. But it is our intention that every pharmacist should be qualified and we do not want that the dispensing and distribution of medicines should be done by the unqualified pharmacists.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, the question is:

"That the Bill further to amend the Pharmacy Act, 1948, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration.".

The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: Now the House will take up clause-by-clause consideration of the Bill.

The question is:

"That Clause 2 stand part of the Bill."

The Motion was adopted.

Clause 2 was added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: Now Clause 1.

Clause 1—Short Title and Commencement
(*Amendment made*)

Page 1, line 3,—

for "1981" *substitute* "1982" (2)

(Shri B. Shankaranand)

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That Clause 1, as amended, stand part of the Bill."

The Motion was adopted.

Clause 1, as amended, was added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: Now the Enacting Formula.

Enacting Formula

(*Amendment made*)

Page 1, line 1,—

for "Thirty-second" *substitute*—

"Thirty-third" (1)

(*Shri B. Shankaranand*)

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That the Enacting Formula, as amended, stand part of the Bill."

The Motion was adopted.

The Enacting Formula, as amended, was added to the Bill.

The Title was added to the Bill

MR. CHAIRMAN: Now the Minister.

SHRI B. SHANKARANAND: I beg to move:

"That the Bill, as amended, be passed."

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill, as amended, be passed."

The Motion was adopted.

16.30 hrs.

ARCHITECTS (AMENDMENT) BILL—Contd.

MR. CHAIRMAN: We now take up further consideration of the following motion moved by Shrimati Sheila Kaul on the 18th March, 1982, namely:

"That the Bill to amend the Architects Act, 1972, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

Out of the time allotted for this Bill, we have only 55 minutes left. Now Shri B. D. Singh.

श्री बी. डी. सिंह (फूलपुर): सभापति जी, यह जो वास्तविद संशोधन बिल प्रस्तुत किया गया है, यह, डिपार्टमेंट की एक कमेटी की जो संस्तुतियां हैं उनको क्रियान्वित करने के उद्देश्य से किया गया है। इसलिए इसमें ऐसी कोई बात नहीं है जिससे किसी की असहमति हो और इस पर कोई विशेष बात कही जाए।

मैं इस संशोधन विधेयक का समर्थन करते हुए कुछ अवसर का लाभ उठाना चाहता हूं। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान, हमारे देश में जो महती संस्कृति के प्रतीक स्वरूप या प्रतिनिधि स्वरूप वास्तुकला के स्मारक हैं, उनकी ओर आकर्षित करना चाहूंगा। मुझे विदित हुआ है कि क्षरण के कारण नष्ट हो रहे हैं। वे कारण के कारण नष्ट हो रहे हैं। वे चित्रकला से ही सम्बन्धित नहीं हैं बल्कि वास्तु कला से भी उनका सम्बन्ध है क्योंकि वे चित्र जिस धरातल पर बनाए गए हैं उस धरातल को इस तरह से तैयार किया गया है कि उस पर प्लास्टर करके सफेदी पर चित्र बनाए जा सके। अब वे चित्र क्षरण के कारण नष्ट हो रहे हैं। मैंने कहीं पढ़ा था कि 1921 में तत्कालीन हैदराबाद के नवाब ने फ्रांस से एक विशेषज्ञ को बुलाया था और उसने वार्निश की कोई पेंटिंग कर दी थी। यह और भी नुकसानदेह साबित हो रही है। अब उस वार्निश की पेंटिंग को भी हटाने की बात हो रही है। कहने का तात्पर्य यह है कि वास्तु कला की यह जो परम्परा है, ये जो विशेषज्ञ हैं, ये जो वास्तुविद हैं उस परम्परा को हम को सुरक्षित रखना है। चूंकि हम उसको सुरक्षित नहीं रख पाए हैं इस वास्ते हमें विदेशों की सहायता लेनी पड़ती है और वह भी हमारे लिए उपयोगी सिद्ध नहीं हो पा रही है।

कोणार्क मंदिर उड़ीसा का है जिसे सूर्य मंदिर कहते हैं। समुद्री हवाएं या खारी लहरों से वहां क्षरण पैदा हो रहा है। उस काम में भी हम विशेषज्ञों की सहायता ले रहे हैं लेकिन कोई विशेष लाभ नहीं हो पा रहा है। आज ही एक प्रश्न था खजुराहो के मंदिर के संबंध में है। यद्यपि मंत्री महोदय ने उसका उत्तर यह दिया है कि वहां पर कोई क्षति नहीं हुई है लेकिन जहां तक मुझे याद पड़ता है 1980 में एक छत्री उसकी ध्वस्त हो गई थी और दूसरी लगाई गई थी। अब भी कुछ अंश जो क्षतिग्रस्त हो रहे हैं उनको सुरक्षित रखने की समस्या है। उस छत्री को 1980 में हटाने के लिए वास्तुकारों की सहायता ली गई थी और निदेशक पुरातत्व विभाग का ऐसा ब्यान आया था कि आगरा या जयपुर से वास्तुकार लोगों को बुलाया गया और उनके द्वारा सुधार का काम किया गया। जो पुराने प्रतीक हैं वास्तु कला के उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिये। यह तभी सम्भव होगा जब जो वास्तुकार आगरा, व जयपुर आदि शहरों के हैं और जो बाहर गन्दी बस्तियों में, सड़कों के किनारे चिराग जला कर और छेनी हथौड़े से काम करते हैं, उनको प्रोत्साहन मिले। महज बीस रूपया प्रति दिन की पेमेंट पर वे काम करते हैं। खजुराहो के मंदिर के काम में सरकार ने उन से काम लिया है। उनको प्रोत्साहन देने के लिए, जो वस्तुएं वे बनाते हैं उनकी बिक्री के लिए सरकार को समुचित व्यवस्था करनी चाहिये। मिडिलमैन से बिचौलियों से उनको बचाया जाना चाहिए। जो सामान वे मेहनत करके तैयार करते हैं, उसकी बिक्री की समुचित व्यवस्था सरकार को करनी चाहिये ताकि उनको प्रोत्साहन मिल सके। इसी तरह से हमारी जो पुरानी वास्तु कला है वह सुरक्षित रह सकती है।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री मूल चन्द डागा (पाली): सभापति जी, एक छोटा सा एमेंडिंग बिल ले कर ये आए हैं। मेरी समझ में नहीं आया है कि इसकी जरूरत क्यों महसूस की गई है, गलती कहां पर हुई है।

Rule 234 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha provides:

"Where a regulation, rule, sub-rule, bye-law, etc. framed in pursurance of the Constitution or of the legislative functions delegated by Parliament to a

[श्री मूल चन्द डागा]

subordinate authority is laid before the House, the period specified in the Constitution or the relevant Act for which it is required to be laid shall be completed before the House is adjourned *sine die* and later prorogued, unless otherwise provided in the Constitution or the relevant Act."

यह रूलस आफ प्रोसीजर 1954 में बने, उसके बाद यह आपका एक्ट 1972 में बना है। 1954 में प्रोसीजर बना और 1972 में आपने आर्कीटेक्ट एक्ट बनाया और उसमें यह लिख दिया –

The rules will be laid on the Table of the House.

234 में साफ लिखा हुआ है कि रेगुलेशन्ज को भी टेबल पर रखा जाना जरूरी है। आजकल क्या हो रहा है? जितने कानून बनते हैं, उनमें जो रूल्स और रेगुलेशन्ज या बाई-लाज निकलते हैं, ये नौकरशाही के लोग, एग्जीक्यूटिव एजेंन्सीज पार्लियामेंट पर हावी हो गई हैं, यह नहीं चाहते कि जो रेगुलेशन्ज बनाए हैं, वह सदन के सामने जायें।

जब आपने बिल पेश किया, एक्ट बना, पहला कसूर तो यह है कि उस समय एक्ट बनाने के समय यह कानून क्यों नहीं बनाए?

Every rule or regulation framed in pursuance of the Constitution, shall be laid on the Table of the House.

इसका मतलब यह है कि हम लोग अपने राइट से डिप्राइव हो गए। हमको मालूम नहीं कि एग्जीक्यूटिव एजेन्सीज झगड़ा खड़ा करती हैं। ये सारे कानून बना देते हैं, नियम, उपनियम बनाकर पारित कर लेती है और उसके बाद निकल जाते हैं। कई बार नियम एक, एक दो दो साल के बाद बनते हैं और गजट में प्रकाशित हो जाते हैं। मालूम नहीं होता कि कब बने। पहले सवाल यह है कि 1972 के एक्ट में आपने यह लिखा है और सैक्शन 45 में लिखा है –

"The Council may, with the approval of the Central Government, make regulations not inconsistent with the provisions of this Act..."

So, the rules and regulations which are framed under this Act, with the approval of the Central Government, are not laid on the Table of the House. Today, you are coming with an amendment, but what about the regulations that are to be laid before both the Houses of Parliament?

पार्लियामेंट न तो आपको 1954 में कहा था और एक्ट आपने बनाया 1972 में। आप यह बताइए आपने इस एक्ट के नीचे पहले कितने रेगुलेशन्ज बनाये और सदन में नहीं रखे, सदन की अवहेलना की और उनकी कितनी अनुपालना हो गई। कितने रेगुलेशन्ज बने सैक्शन 9 में लिखा है–कितने रेगुलेशन्ज बन जाते हैं, हम चुप रहते हैं, हमें मालूम नहीं कि क्या बनाया है। आपने रेगुलेशन्ज को हाउस की टेबल पर नहीं रखा और कहा यह कि यह रेगुलेशन्ज हमारे इंटरनल तरीका है। इनको हाउस की टेबल पर रखने की जरूरत नहीं है। यह नई बात आप कहते हैं।

कमेटी आन सबोर्डिनेट लेजिस्लेशन ने 1954 में यह कहा था। उन्होंने उसका वहाना किया मैं पढ़ता हूं। इसको 72 में ओबजैक्ट में क्यों रखा, अब वह कहते हैं –

The Committee on Subordinate Legislation in its report says:

"The main reasons now given by the Ministries/Departments for not incorporating a provision for laying of Regulations in Acts/Bills are:

(i) the regulations are generally framed by autonomous bodies with regard to their internal working, and are, therefore, not of general public interest; and

(ii) a provision for their laying before Parliament would not be consistent with the autonomous character of such bodies.

The Committee note that similar arguments were given by the Ministry

of Finance for not incorporating a provision for laying of Regulations framed under the State Bank laws Amendment Bill, 1973..."

कमेटी ने यह निर्णय किया था कि सब रूल्ज, रेगुलेशन्ज और बाई-लाज सदन के टेबल पर रखे जाने चाहिए । लेकिन आज कोई भी मिनिस्ट्री कमेटी की रीकमेंडेशन्ज की परवाह नहीं करती, कोई उसकी रीकमेंडनेशन्ज को इम्पलीमेंट नहीं करना चाहती, भले ही पार्लियामेंटरी एफेयर्ज मिनिस्टर ने इस बारे में लैटर लिखे हों ।

एक्ट कहता है कि कमेटी इस तरह बुलाई जाएगी, उसमें ये मेम्बर होंगे, उन्हें यह-यह भत्ता दिया जाएगा, इस बार में रूल्ज बनाए जाएंगे । लेकिन ये रूल्ज सदन के टेबल पर नहीं रखे गए हैं । अगर रूल्ज कमेटी के सामने जाते, तो डा. कर्ण सिंह या दूसरे विद्वान सदस्य नियम 234 के तहत आबजेक्शन रेज करते कि ये रूल्ज ठीक नहीं बने । स्वर्गीय श्री महालगी ने एक बार इस तरह का आबजेक्शन किया था ।

Rule 235 of the Rules of Procedure says:

"The Speaker shall in consultation with the Leader of the House, fix a day or days or part of a day as he may think fit for the consideration and passing of an amendment to such regulation, rule, sub-rule, bye- law etc. of which notice may be given by a member:"

इसके दो लाभ होते हैं : जब रूल्ज को टेबल रखा जाता है, तो कमेटी उन्हें एग्जामिन करती है और पब्लिकेशन पर भी कमेटी उन्हें एग्जामिन करती है । लेकिन जब रूल्ज को यहां पर न रखा जाए, तो न उन्हें स्टडी किया जा सकता है और न ही कोई आबजेक्शन रेज किया जा सकता है । आज 1982 में मंत्री महोदय एक एमेंडमेंट ले कर आए हैं । लोग कहेंगे कि यह बड़ा साधारण एमेंडमेंट है कि भविष्य में हम रेगुलेशन्ज को टेबल पर रखेंगे ।

The Committee in its Report reiterated that—

"The Committee reiterate their earlier recommendations on the subject and desire that like rules, regulations should also be laid before Parliament and there should be a provision to this effect in the relevant statutes. Likewise, there should invariably be a provision in the relevant statutes for publication of regulations to be framed thereunder..."

मैं शिक्षा मंत्री से जानना चाहता हूं कि जब तक एक्ट में रूल्ज को टेबल पर रखने का प्राविजन नहीं था, तब तक कितने रूल्ज, रेगुलेशन्ज और बाई-लाज बनाए गए ।

The Act says:

"The Council may, with the approval of the Central Government, take regulations not inconsistent with the provisions of this Act, or the rules made thereunder to carry out the purposes of this Act.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, such regulations may provide for—

(a) the management of the property of the Council;

(b) the powers and duties of the President and the Vice-President of the Council:

(c) the summoning and holding of meetings of the council and the executive committee or any other committee constituted under Section 10....".

इस एक्ट में सब बातों के लिए रेगुलेशन्ज बनाने की बात कही गई है । यह एक्ट 1972 में पारित किया गया । आज 1982 में मंत्री महोदय यह एमेंडमेंट ले कर आए हैं कि हम सब रेगुलेशन्ज टेबल पर रखेंगे । सवाल यह है कि जो पावर्ज हमने एक्सीक्यूटिव को दी हैं, कहीं उनका दुरूपयोग न हो । इस बात की जांच कौन करेगा कि रूल्ज एक्ट के मुताबिक

[श्री मूल चन्द डागा]

बनाए गए हैं। आर्किटेक्ट्स एक्ट में जो रूल्ज एंड रेगुलेशन्ज बनाए गए हैं, उनकी जांच करने वाला कौन है ?

उसके लिए एक कमेटी बनी हुई है और वह तभी एग्जामिन कर सकती है जब कि रूल्ज, रेगुलेशन्ज यहां ले डाउन हों। अब आर्किटेक्ट एक्ट के अन्दर कितने सैक्शन्ज हैं जिनके अधीन रेगुलेशन्स बनाने का प्रावधान है। आप बताएंगे इस एक्ट के लागू होने के बाद कितने रेगुलेशन्स यहां रखे गए? आपने केवल एक अमेंडमेंट किया है रेगुलेशन्ज ले डाउन करने का। किस प्रकार मीटिंग्स होंगी, किस प्रकार यह एक्ट फंक्शन करने लगा जब रेगुलेशन्स ही नहीं बने, और किसी ने देखा नहीं। तो कैसे फंक्शन करने लगा ? पार्लियामेंट जो पावर्स डेलीगेट करती है उसका किस प्रकार मिसयूज एग्जीक्यूटिव द्वारा होता है यह इसका नमूना है। कहते हैं हम रेगुलेशन्ज पेश नहीं करते। तो हम कैसे देखेंगे। इसलिए जितना इन्नामेंटली यह बिल आपने रखा है और राज्य सभा से पास कराया है, आप बताएं इस एक्ट को किस प्रकार से काम में लाए जब कि रूल्स, रेगुलेशन्ज आपने यहां नहीं रखे ?

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : मान्यवर, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। माननीय डागा जी ने कानूनी मुकते उठाए जिसके सम्बन्ध में यह बिल लाया गया है। यह तो सिर्फ यह है कि संसद चलते वक्त नियम यहां रखे जाएंगे। मगर इस विभाग ने जो व्यवस्था की है, पुरानी इमारतों की कैसे रक्षा की जाए, इसके बारे में कुछ सुझाव मैं रखना चाहता हूं।

राजस्थान एक ऐसा प्रान्त है जिसकी संस्कृति और सभ्यता बहुत ही पुरानी है, और पुरानी इमारतें हैं जिनकी रक्षा करना नितांत जरूरी है। उससे हमारी संस्कृति जीवित रहेगी और संसार में अपनी छाप छोड़ती रहेगी। इसलिए इस प्रकार की व्यवस्था बहुत जरूरी है। माननीय बुद्धि सिंह जैन कह रहे थे कि जैसलमेर की हवेली बहुत मशहूर है और आर्किटेक्ट का एक आदर्श है। उनको अगर यह विभाग मेन्टेन नहीं करेगा तो हमारी सभ्यता भुला दी जाएगी इसलिए इनकी रक्षा नितान्त आवश्यक है। इसी तरह से आबू का जैन मन्दिर और रणकपुर का जैन मन्दिर। ऐसा लगता है कि इनको देवताओं ने बनाया है। इतनी सुन्दर आकृतियां हैं कि जिनका उदाहरण संसार में नहीं मिलेगा। इनके बारे में विभाग क्या कर रहा है, किस तरह से देखभाल कर रहा है? इसके सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि विभाग की देखभाल ठीक नहीं है। और अगर यह चीजें नष्ट हो जायेंगी तो हम अपनी संस्कृति और सभ्यता को खो देंगे और अपनी पुरानी यादों, और गौरवमय अतीत को भुला देंगे। इसलिए इसकी रक्षा करना जरूरी है। इसी तरह से राजस्थान का चित्तौड़गढ़ है जो कि इतनी पुरानी जगह है जहां चप्पे चप्पे पर हमारी पुरानी संस्कृति और वीरता की छाप लगी हुई है। पुराने मंदिर, महल, मकान सभी कुछ हमारी पुरानी गौरवमय गाथा गाते हुए दिखाई पड़ते हैं। ऐसे भवनों की निश्चित तौर पर मेन्टिनेन्स की जानी चाहिए। अभी उनकी मेन्टिनेन्स न के बराबर है। यदि ऐसा नहीं किया जाएगा तो हम अपनी पुरानी सभ्यता और संस्कृति को भुला बैठेंगे।

हमारे भीलवाड़ा में मैदान में हजारों वर्ष पुराना शिवजी का स्थान है जोकि देखते ही बनता है लेकिन उसकी भी कोई देखते ही बनता है लेकिन उसकी भी कोई मेंटिनेन्स नहीं है। डिपार्टमेंट ने बोर्ड जरूर लगा रखा है लेकिन उसकी ओर से मेंटिनेन्स की कोई भी व्यवस्था नहीं की जाती है। इसलिए ऐसे स्थान, जिनको देखकर हम गर्व कर सकते हैं, उनकी मेंटिनेन्स की ओर इस डिपार्टमेंट का ध्यान जरूर जाना चाहिए।

कई स्थानों पर खुदाई हो रही है जहां से हमारी संस्कृति के अम्बार निकल रहे हैं, महल निकल रहे हैं, बावलियां निकल रही हैं, मूर्तियां निकल रही हैं, इन चीजों को भी सुरक्षित रखना नितान्त आवश्यक है। इसी प्रकार अजमेर भी हमारा बहुत पुराना स्थान है। जहां पर पृथ्वी राज से भी पहले के राजे महाराजाओं की बनाई हुई इमारतें मौजूद हैं। इसी

प्रकार से दरगाह शरीफ है, पुष्कर है, जो धर्म और संस्कृति के हिसाब से बहुत पुराने और रमणीय स्थान हैं । उनकी देख-रेख किस प्रकार हो रही है ? इस डिपार्टमेन्ट को खास तौर से देखना चाहिए कि इन स्थानों को सुरक्षित रखा जा सके । जोधपुर में मण्डोर का किला है जो कि हमारी पुरानी सभ्यता की निशानी है । बूंदी में भी हमारी पुरानी इमारतें और स्थल हैं जिन की ओर आप का ध्यान जाना चाहिए । आज धीरे-धीरे ये स्थान खण्डहर होते जा रहे हैं, जिन से हमारी संस्कृति और सभ्यता लुप्त होती जा रही है । विदेशी पर्यटक हमारे देश में लाखों की तादाद में इन स्थानों को देखने के लिए हर साल आते हैं जिन के द्वारा करोड़ों रूपयों की विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है । इन स्थानों को सुरक्षित रख कर और आकर्षण का केन्द्र बना कर हम अपनी आमदनी और ज्यादा बढ़ा सकते हैं ।

राजस्थान में मूर्तियां बनाने वाले हैं उन के उत्थान की कोई व्यवस्था नहीं है । वे बड़े सुन्दर कलाकार हैं । वे अपने आप थोड़ा-बहुत कमा लेते हैं । उन की कला की रक्षा करना भी इस डिपार्टमेन्ट का मुख्य कर्तव्य होना चाहिए ताकि वे अपनी कला को मूर्तियों एवं अन्य कलाकृतियों में ढाल कर देश और विदेश में उन का प्रदर्शन कर सकें ।

मुझे आशा है कि मैंने जो बातें यहां पर निवेदन की हैं उन पर मंत्री जी ध्यान देंगे और पुराने ऐतिहासिक स्थानों के मेंटेनेन्स की निश्चित तौर पर व्यवस्था करेंगे ताकि हमारी पुरानी सभ्यता और संस्कृति जीवित रह सके ।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं ।

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRIES OF EDUCATION AND CULTURE AND SOCIAL WELFARE (SHRIMATI SHEILA KAUL): Mr. Chairman, Sir, I am grateful to the hon. Members who have taken so much interest and given useful suggestions.

The Architects (Amendment) Bill, 1982 is a very simple one and the purpose is also very very limited. It is of a technical nature. Similar Bills have been introduced previously also.

Shri B. D. Singh mentioned about the paintings in Ajanta. Actually, all this does not come under this Bill. But nevertheless, he has given us good suggestions and we are quite concerned about the condition of Ajanta and also about Konarak. We are trying to do something about the dis-colouration of Ajanta paintings.

Shri Daga mentioned about the regulations. I would like to tell him that no regulation has so far been made under this Act. The reason why this Bill has been introduced is that all the regulations shall be laid on the Table of the House.

Shri Vyas also spoke about our archeological finds and monuments and that they should be properly looked after. I would like to remind him in this connection that all the monuments and archeological finds do not come under the Central Government. Some of them are directly under the State Governments and it is up to the State Governments that they should look after these monuments which are of very great value to our traditions and to our art.

I welcome all these suggestions and it has also given me an opportunity to hear the views of my learned members. The amendments contained in the Bill are in consonance with the recommendations made by the Committee on the Subordinate Legislation to the effect that the regulations framed under different statutes shall be laid on the Table of the House.

With these words, I request that this Amendment Bill may be passed.

श्री हरीश कुमार गंगवार (पीलीभीत) : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदया ने इस समय जो कहा है, वह ठीक है, हम लोग उसका समर्थन कर रहे हैं । लेकिन मेरी दृष्टि में इस पूरे बिल का संशोधन करने की आवश्यकता है । मैं आप के सामने एक

[श्री हरीश कुमार गंगवार]

उदाहरण रख रहा हूं – जिस से कि आगे चल कर आप इस में आमूलचूक परिवर्तन कर सकें । इस में लिखा है –

"Clause 25 (b) provides that even if a person does not hold a recognised qualification but being a citizen of India has been engaged in practice as an architect for a period of not less than five years, he shall have his name entered into the register along with those who have got recognised qualifications."

यह कब तक चलता रहेगा ? जो अनक्वालिफाइड लोग हैं वे एक सर्टिफिकेट ले आएंगे और उन लोगों की जगह रजिस्टर कराते रहेंगे जो बाकायदा पढ़-लिख कर आते हैं। कृपा कर इस तरह की व्यवस्था को अमेण्ड करने की कोशिश कीजिए तथा इस में जो और कमियां हैं ज्यादा समय न होने के

17.00 hrs.

कारण मैं उनको बता नहीं रहा हूं, उन को दूर कीजिए । इन सब पर ध्यान दे कर कोई एमेंडमेंट लाया जाएगा, यह आश्वासन मैं आप से चाहता हूं जिस में जो कमियां मैंने बताई हैं, वे दूर हो सकें ।

SHRIMATI SHEILA KAUL: I just now mentioned that this Bill is introduced for bringing in the Regulation which has not so far been framed and that it should be laid on the Table. All these things keep on changing with the requirements and needs of society.

There cannot be a last word on the Bill.

The suggestion that some more changes should be made is most welcome.

MR. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That the Bill to amend the Architects Act, 1972, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. DEPUTY SPEAKER: There is no amendment to Clause 2.

The question is:

"That Clause 2 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 2 was added to the Bill.

MR. DEPUTY SPEAKER: There is a Government amendment to Clause 1. The Minister may move it.

Amendment made

"Page 1, line 3,—

for "1980" *substitute* "1982". (2)

(*Shrimati Sheila Kaul*) ....

MR. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That Clause 1, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 1, as amended was added to the Bill.

MR. DEPUTY SPEAKER: There is an amendment to the Enacting formula.

The Minister may move it.

Amendment made.

Page 1, line 1—

for "Thirty-first" *substitute* "Thirty-third". (1)

(*Shrimati Sheila Kaul*)

MR. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That The Enacting Formula, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

The Enacting formula, as amended, was added to the Bill.

MR. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That the Title stand part of the Bill."

The motion was adopted.

The Title was added to the Bill.

SHRIMATI SHEILA KAUL: I beg to move:

"That the Bill, as amended, be passed."

MR. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That the Bill, as amended, be passed."

The motion was adopted.

17.03 hrs.

PREVENTION OF CRUELTY TO ANIMALS (AMENDMENT) BILL

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRIES OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT (SHRI R. V. SWAMINATHAN): I beg to move:*

"That the Bill to amend the Prevention of Cruelty to Animals (Amendment) Act, 1960, be taken into consideration."

The subject 'Prevention of Cruelty to Animals' comes under the Concurrent List of the Constitution.

The Central Government has played an active role to take measures to prevent cruelty to animals in the last two decades.

The Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960, was enacted by the Central Government with a view to prevent cruelty to animals and to amend laws relating to the subject of Prevention of Cruelty to Animals.

The Prevention of Cruelty to Animals Act of 1960 replaced the earlier Prevention of Cruelty to Animals Act of 1890.

The Central Government established the Animal Welfare Board in 1962 under Section 4 of Prevention of Cruelty to Animals Act of 1960.

The Animal Welfare Board works as an Apex Level Organisation and coordinates the work of associations and bodies concerned with Animal Welfare and renders financial assistance to such organisations.

Keeping in view the experience gained in the working of the Prevention of Cruelty to Animals Act for the past 20 years and the suggestions made by the Legal Affairs Committee of the Animal Welfare Board, the amendments proposed were circulated to the State Governments. Concurrence has been received from the State Governments of Maharashtra, West Bengal, Bihar, Tamil Nadu, Orissa, U.P., Rajasthan, Karnataka, Madhya Pradesh, Himachal Pradesh, Meghalaya and Union Territories of Chandigarh, Dadra and Nagar Haveli and Andamans.

With a view to give national character to the Animal Welfare Board, the Animal Welfare Board is proposed to be renamed as Animal Welfare Board of India.

The composition of the Board is being made more broad based. Animal Welfare Board will have additional representatives from the Central Ministries of Home Affairs, Education and the Indian Board of Wild Life and also three persons actively engaged in animal welfare work and well known humanitarians. The existing membership of 5 Municipal Corporations is being reduced to 2.

The term of the Board after reconstitution is to be for a period of 3 years. In case there is a vacancy on the Board, the succeeding member will hold office for the unexpired period of 3 years.

Functions of the Board covered under Section 9 (d) relating to ameliorating conditions of beasts of burden are being widened to cover amelioration of all animals. Sec. 9 (g) which relates to grant of

---

*Moved with the recommendation of the President.